डाक पंजीयन क्रमांक-म.प्र./भोपाल/357/2018-20

मुद्रित पत्र रजि. नं./आर.एन./13063/1967

मध्यप्रदेश सहकारी समाचार

मध्यप्रदेश राज्य सहकारी संघ भोपाल का प्रकाशन

Website : www.mpscu.in
E-mail : rajyasanghbpl@yahoo.co.in

हिन्दी/पाक्षिक

● वर्ष 61 ● अंक 19 ● भोपाल ● 1-15 मार्च, 2018 ● पृष्ठ 8 ● एक प्रति 7 रु. ● वार्षिक शुल्क 150/- ● आजीवन शुल्क 1500/-

ओला-वृष्टि से प्रभावित क्षेत्रों में व्यापक पैमाने पर राहत कार्य शुरू किये जायेंगे - श्री चौहान

भोपाल। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने सिवनी जिले में कुरई विकासखण्ड के ग्राम मोहगाँव में पहुँचकर ओला-वृष्टि से प्रभावित फसलों को देखा। उन्होंने किसानों को हर तरह की राहत का भरोसा दिलाते हुए कहा कि ओला-वृष्टि से प्रभावित क्षेत्रों में व्यापक पैमाने पर राहत कार्य शुरू किये जायेंगे, ताकि लोगों को रोजगार उपलब्ध हो सके।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने किसानों को बताया कि ओला-वृष्टि से फसलों को हुए नुकसान के सर्वेक्षण के लिये बनाये जा रहे दलों में गाँव के स्थानीय जन-प्रतिनिधियों तथा पंचों को भी शामिल किया जायेगा। उन्होंने कहा कि जिन किसानों के पशुओं तथा मकान को ओला-वृष्टि से क्षति हुई है, उन्हें भी आरबीसी 6-4 के तहत सहायता दी जायेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों को हुए नुकसान की भरपाई के लिये राज्य सरकार सभी संभव प्रयास कर रही है। प्राकृतिक आपदा की इस घड़ी में राज्य सरकार किसानों के साथ खड़ी है।

श्री चौहान ने किसानों को बताया कि राज्य सरकार ने प्राकृतिक आपदा की स्थिति में दी जाने वाली राहत राशि को 15 हजार रुपये से बढ़ाकर 30 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर कर दिया है। ओला-वृष्टि से प्रभावित किसानों को फसल बीमा योजना का लाभ तुरंत दिलवाया जायेगा, इन किसानों की कर्ज वसूली स्थगित रहेगी और पूरा ब्याज माफ होगा। साथ ही प्रभावित किसानों को इसी वर्ष से शून्य प्रतिशत ब्याज पर कृषि ऋण दिया जायेगा और प्रभावित किसानों के बकाया बिजली बिलों की वसूली भी स्थगित रहेगी। उन्होंने कहा कि इस दौरान अगर किसी ओला-वृष्टि से प्रभावित किसान को अपनी बेटी की शादी करनी होगी तो राज्य सरकार उसे घर पर ही बेटी की शादी के लिये मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत 25 हजार रुपये की सहायता राशि देगी।

मुख्यमंत्री श्री चौहान को जिला प्रशासन द्वारा जानकारी दी गई कि जिले में 280 गाँवों में ओला-वृष्टि से किसानों की फसलों को नुकसान हुआ है। जिले में फसलों को हुए नुकसान के सर्वे का काम सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ पूरा किया जा रहा है।ओला-वृष्टि से प्रभावित फसलों के नुकसान के निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री श्री चौहान के साथ सांसद श्री फग्गन सिंह कुलस्ते और श्री बोध सिंह भगत, जिले के प्रभारी मंत्री श्री शरद जैन, विधायक ठाकुर रजनीश सिंह, श्री कमल मर्सकोले, श्री दिनेश राय, जिला पंचायत अध्ययक्ष श्रीमती मीना बिसेन, अन्य जन-प्रतिनिधि और वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे।

कृषकों की आय दो गुनी करने उद्यानिकी फसलों का रोडमेप तैयार

19 लाख हेक्टेयर से ज्यादा हुआ उद्यानिकी फसल रकबा

उद्यानिकी विभाग द्वारा किसानों के उत्पादों की विपणन व्यवस्था के विशेष प्रयास किये जा रहे है। इसमें उत्पादक संगठनों और स्थानीय कृषकों के समूहों को तकनीक सहायता दी जा रही है। देश-विदेश के विक्रेताओं से संपर्क कराने के प्रयास भी किए जा रहे हैं।

भोपाल। कृषकों की आय दोगुनी करने के लिए तैयार रोडमेप पर कार्रवाई करते हुए उद्यानिकी क्षेत्र रकवा लगभग 19 लाख 12 हजार हेक्टेयर हो चुका है। फलस्वरूप सभी मुख्य उद्यानिकी फसलों में प्रदेश के किसानों द्वारा सरप्लस उत्पादन किया जा रहा है। उद्यानिकी विभाग द्वारा फसलोत्तर प्रबंधन के लिए अधोसंरचना निर्माण एवं खाद्य प्र-संस्करण इकाइयों की स्थापना के लिए अनुदान दिए जाने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

इस रणनीति के तहत दो वर्षों में 2 लाख 75 हजार मीट्रिक टन प्याज भण्डारण क्षमता निर्मित की गई। अभी 1 लाख 66 हजार मीट्रिक टन क्षमता के प्याज भण्डारण गृह निर्माणाधीन हैं। नश्वर उत्पादों के भण्डारण के लिये दो वर्षों में 3 लाख 22 हजार मीट्रिक टन कोल्ड स्टोरेज क्षमता विकसित की गई है।

उद्यानिकी विभाग द्वारा किसानों के उत्पादों की विपणन व्यवस्था के विशेष प्रयास किये जा रहे है। इसमें उत्पादक संगठनों और स्थानीय कृषकों के समूहों को तकनीक सहायता दी जा रही है। देश-विदेश के विक्रेताओं से संपर्क कराने के प्रयास भी किए जा रहे हैं। देश-विदेश के खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों एवं क्रेताओं के साथ चर्चा कर प्रदेश में निवेश करने के लिए उन्हें आमंत्रित किया गया है। अभी 1200 से 1300 करोड़ रूपये के अनुबंध निवेश के लिए किये गये हैं।

नमामि देवी नर्मदे सेवा यात्रा के दौरान 2 जुलाई 2017 को विभाग द्वारा नर्मदा तट एवं बेसिन क्षेत्रों के 24 जिलों में 14 हजार 422 कृषकों की निजी भूमि पर 11 हजार 104 हेक्टेयर क्षेत्र में 41 लाख 72 हजार फलदार पौधों का रोपण किया गया। इस वर्ष 2 जुलाई 2018 को होने वाले पौध रोपण के लिए विभाग को 75 लाख पौध रोपण का लक्ष्य दिया गया है।

जलवायु परिवर्तन के जोखिम को वहन करने तथा वर्ष भर ताजी सब्जियों एवं पुष्पों का निरंतर उत्पादन प्राप्त करने के लिए संरक्षित खेती की योजना में वर्ष 2016-17 में 103 हेक्टेयर में पाली हाउस/शेडनेट हाउस और 3110 हेक्टेयर में प्लास्टिक मल्चिंग के लिए अनुदान दिया गया। वर्ष 2017-18 में 73 हेक्टेयर में पाली हाउस/ शेडनेट हाउस का निर्माण किया जा रहा है। साथ ही 3600 हेक्टेयर में प्लास्टिक मल्चिंग पर अनुदान दिया जा रहा है। वर्ष 2018-19 में 1183 हेक्टेयर में कृषकों को पाली हाउस/ शेडनेट हाउस के निर्माण तथा 8500 हेक्टेयर में प्लास्टिक मल्चिंग के लिए अनुदान दिया जाना प्रस्तावित है।

पानी का समुचित उपयोग तथा सिंचाई में विद्युत एवं श्रम की बचत कर क्षेत्र एवं उत्पादन में वृद्धि के लिए इस वित्त वर्ष में 41 हजार 882 हेक्टेयर क्षेत्र में ड्रिप एवं स्प्रिंकलर सेट लगाए गए हैं। अगले वित्त वर्ष में 52 हजार हेक्टेयर में ड्रिप/स्प्रिंकलर संयंत्र लगाया जाना प्रस्तावित है।

प्रबंधकीय कौशल, लेखांकन तथा ग्राहक सेवा एवं व्यापार प्रबंधन पर कार्यशाला सम्पन्न

हरदा। म.प्र.शासन सहकारिता विभाग अंतर्गत एकीकृत सहकारी विकास परियोजना जिला हरदा के तत्वाधान में दिनांक 21.02.2018 को जिले की प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों के प्रबंधकों/सहायक प्रबंधकों एवं विक्रेताओं हेतु प्रबंधकीय कौशल लेखांकन तथा ग्राहक सेवा एवं व्यापार प्रबंधन विषयों पर एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन राजपूत छात्रावास हरदा में किया गया जिसमें म.प्र. राज्य सहकारी संघ मर्यादित, भोपाल के व्याख्यातागण श्री दिलीप मरमट, श्री गणेश प्रसाद मांझी एवं श्रीमती मीनाक्षी बान, कम्प्यूटर प्रशिक्षक द्वारा प्रशिक्षण दिया गया।

कार्यक्रम का शुभारम्भ मुख्य अतिथि जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक होशंगाबाद के अध्यक्ष श्री भरतसिंह राजपूत के करकमलों से किया गया। प्रशिक्षण कार्यक्रम में श्री छविकान्त वाघमारे, सहायक आयुक्त, सहकारिता विभाग हरदा द्वारा भी सहकारिता पर सारगर्भित जानकारी में सहकारिता की गतिविधियां, योजनाओं, भावांतर योजना, समर्थन मूल्य खरीदी विषयों पर प्रशिक्षणार्थिों से चर्चा कर कठिनाईयों के निराकरण के संबंध में विस्तार से पूर्वक जानकारी दी गई। प्रशिक्षण कार्यक्रम में नोडल अधिकारी श्री सारंग एवं जिले की सहकारी संस्थाओं के समिति प्रबंधक/सहायक समिति प्रबंधक एवं विक्रेता सहित 200 प्रशिक्षणार्थियों द्वारा प्रशिक्षण प्राप्त किया गया।

भावान्तर भुगतान योजना से किसानों को मिली पर्याप्त आर्थिक मदद

भोपाल। मध्यप्रदेश में खरीफ-2017 से शुरू की गई भावान्तर भुगतान योजना से छोटे-बड़े सभी किसानों को पर्याप्त आर्थिक मदद मिली है। प्रदेश में आठ फसलों सोयाबीन, मूंगफली, तिल, रामतिल, मक्का, मूंग, उड़द और अरहर को इस योजना में शामिल किया गया था।

झाबुआ- जिले के पेटलावद ब्लॉक के गाँव अनन्त खेड़ी के किसान राधेश्याम पाटीदार ने भावान्तर भुगतान योजना में अपना 120 क्विंटल सोयाबीन कृषि उपज मंडी में व्यापारी को बेचा था। राधेश्याम बताते है की योजना में पंजीयन होने से राज्य सरकार द्वारा उनके बैंक खाते में 46 हजार 372 रुपये जमा करवाये गये हैं। राधेश्याम भावान्तर भुगतान योजना को किसानों के लिये आर्थिक सुरक्षा कवच मानते हैं। **सीधी**- जिले के किसान वृन्दावन तिवारी, अवनीश कुमार चतुर्वेदी, राम खिलावन गुप्ता, मोहनलाल और राम गोपाल सिंह जैसे सभी किसानों ने अपनी अधिसूचित फसलों को अधिसूचित कृषि उपज मंडी में बेचा था। इन्हें फसल बेचने पर फसल की विक्रय दर तथा फसल की औसत मॉडल विक्रय दर की अंतर की राशि अपने बैंक खातों में मिली। सीधी जिले में 49 किसानों के खाते में करीब 6 लाख 75 हजार रुपये की राशि जमा करवायी गयी है। किसानों का कहना है की भावान्तर भुगतान योजना ने उपज का कम भाव होने पर भी सुरक्षा प्रदान की है। अब उन्हें बाजार पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं है।

इंदौर- जिले के इस योजना से लाभान्वित प्रगतिशील किसान है गोकुल सिंह। इन्हें अपने बैंक खाते में 88 हजार 252 रुपये की राशि सोयाबीन फसल बेचने के कारण भावांतर राशि के रूप में सरकार की ओर से मिली है। गोकुल सिंह के पास 150 बीघा जमीन है और उन्होंने कृषि उपज मंडी सांवेर में 218 क्विंटल सोयाबीन बेची थी।

जिले में 10 हजार किसानों को 12 करोड़ रुपये की राशि भावान्तर योजना में अब तक भुगतान की जा चुकी है। यह राशि आरटीजीएस के जरिये किसानों के बैंक खातों में सीधी भेजी गयी है। लाभान्वित किसान बताते हैं कि उन्हें जीवन में पहली बार फसल का सही दाम मिला है।

राज्य-स्तरीय लघु उद्योग संवर्धन बोर्ड का पुनर्गठन

भोपाल। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री संजय सत्येन्द्र पाठक की अध्यक्षता में राज्य-स्तरीय लघु उद्योग संवर्धन बोर्ड का पुनर्गठन किया गया है। बोर्ड में 9 शासकीय सदस्य और 12 अशासकीय सदस्य नामांकित किये गये हैं। एमएसई उद्योग संचालनालय के संचालक बोर्ड के सदस्य सचिव होंगे। बोर्ड की बैठक तीन माह में कम से कम एक बार होगी।

पुनर्गठित राज्य-स्तरीय संवर्धन बोर्ड प्रदेश में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के विकास, तथा संवर्धन के लिये नीतियाँ अनुशंसित करेगा, योजनाएँ आदि पर परामर्श देगा और कठिनाइयों का निराकरण कराने के साथ ही ईज ऑफ डूइंग बिजनेस आदि पर राज्य-स्तरीय कार्यवाही कराएगा।

राज्य-स्तरीय संवर्धन बोर्ड में सूक्ष्म, लघु और मध्यम विभाग, नगरीय विकास एवं आवास विभाग, पर्यावरण विभाग, श्रम विभाग, ऊर्जा एवं राजस्व विभाग के प्रमुख सचिव, उद्योग आयुक्त, लघु उद्योग निगम के प्रबंध संचालक एवं मध्यप्रदेश ट्राइफेक के प्रबंध संचालक अशासकीय सदस्य नामांकित किये गये हैं।

पुनर्गठित बोर्ड में अशासकीय सदस्य के रूप में म.प्र.लघु उद्योग संघ, लघु उद्योग भारती, पीएचडी चेम्बर ऑफ कामर्स एण्ड इण्डस्ट्री, एसोचेन, सीआईआई मध्यप्रदेश, एसोसिएशन ऑफ इण्डस्ट्रीज मध्यप्रदेश, ऑल इण्डिया मेन्युफेक्चरर्स आर्गनाइजेशन, एम.पी.एसोसिएशन बूमैन इंटरप्रेन्योर, फेडरेशन ऑफ चेम्बर कामर्स इण्डस्ट्रीज एवं म.प्र. स्माल स्केल इण्डस्ट्रीज आर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष, दलित इण्डियन चेम्बर्स ऑफ कामर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज से एक-एक तथा राज्य शासन द्वारा अन्य उद्योग संघ से 2 सदस्य और मनोनीत किये जा सकेंगे।

अप्रैल 2008 से दिवंगत पंचायत सचिवों के परिजनों को अनुकम्पा नियुक्ति की पात्रता

भोपाल। मध्यप्रदेश में दिवंगत नियमित पंचायत सचिवों के परिजनों को 01 अप्रैल 2008 से अनुकम्पा नियुक्ति की पात्रता होगी। पूर्व में यह अवधि 01 अप्रैल 2017 निश्चित की गई थी। संशोधित आदेश पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा जारी कर दिये गये हैं।

पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री गोपाल भार्गव ने यह जानकारी देते हुए बताया कि मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा पिछले दिनों पंचायत सचिवों के सम्मेलन में की गई घोषणा के अनुपालन में यह आदेश जारी किया गया है।

हर साल एक लाख श्रमिकों को स्व-रोजगार के लिए ऋण उपलब्ध करवाए जाएंगे

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने राज्य स्तरीय असंगठित श्रमिक सम्मेलन में श्रमिकों से की सीधी बातचीत

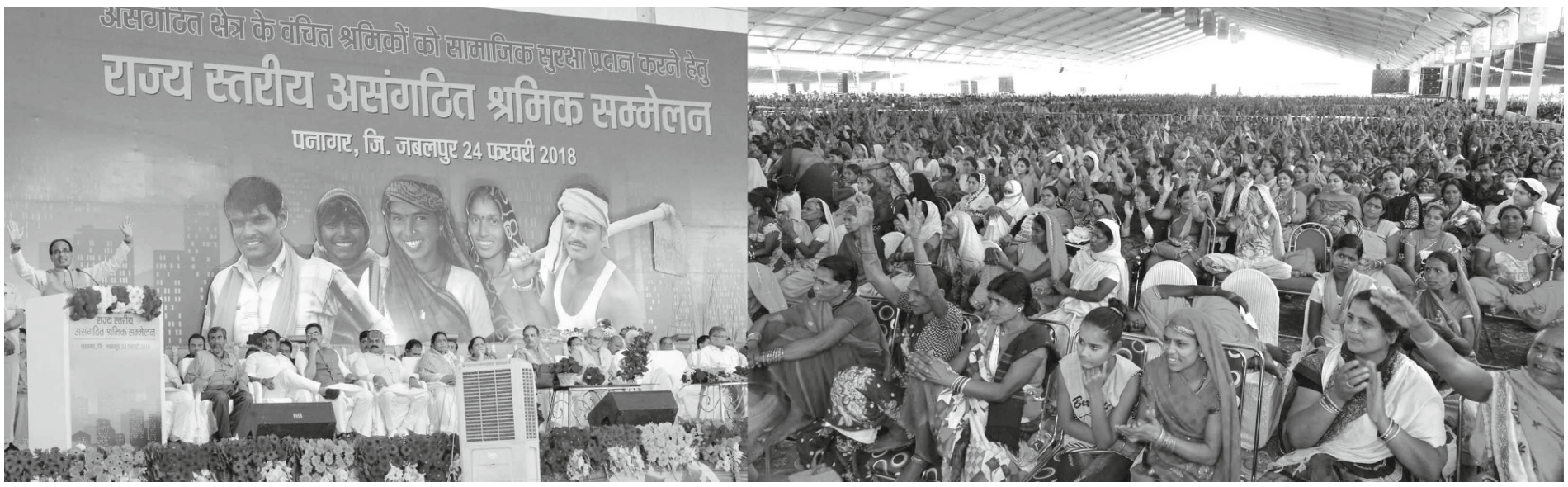

भोपाल। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि श्रमिकों की सेवा वास्तव में भगवान की सेवा के समान है। सरकार श्रमिकों की समस्याओं को दूर करने के लिए सभी जरूरी कदम उठाएगी। श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश की विकास दर और कृषि विकास दर में हुई वृद्धि में सर्वाधिक योगदान श्रमिकों का ही है। श्री चौहान जबलपुर जिले के पनागर विकासखण्ड मुख्यालय में राज्य स्तरीय असंगठित श्रमिक सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर श्रमिकों से उनकी समस्याओं के बारे में सीधी बातचीत की और हर समस्या के निराकरण का संकल्प जताया।

श्री चौहान ने घोषणा की कि प्रदेश के हर श्रमिक को पक्का मकान मुहैया करवाया जाएगा। तीन साल के अंदर यह काम पूर्ण होगा। उन्होंने कहा कि शहरों में श्रमिकों को पक्के मकान उपलब्ध कराए जाएंगे। ग्रामों में श्रमिक परिवारों का चिन्हांकन कर उन्हें भूमि के पट्टे और पक्का मकान बनाने के लिए राशि मुहैया कराई जाएगी।

श्रमिकों के बच्चों की शिक्षा की फीस सरकार भरेगी

श्री चौहान ने कहा कि पहली कक्षा से लेकर डॉक्टरेट तक की पढ़ाई के लिए श्रमिकों के बच्चों की फीस सरकार भरेगी। इसमें इंजीनियरिंग, मेडिकल तथा नाम-चीन प्रबंध संस्थान भी शामिल होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि श्रमिकों के बच्चों के लिये पब्लिक स्कूलों की तर्ज पर भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर और इंदौर में श्रमोदय विद्यालय खोले जाएंगे। इन विद्यालयों में श्रमिकों के बच्चों को सभी जरूरी सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी।

प्रतिभावान बच्चों को मिलेगी निःशुल्क कोचिंग

श्री चौहान ने प्रतिष्ठित सेवाओं के लिए होने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए असंगठित श्रमिकों के प्रतिभावान बच्चों को बेहतरीन संस्थानों में निःशुल्क कोचिंग उपलब्ध करवाने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि इन संस्थानों की फीस सरकार भरेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि गंभीर बीमारी से ग्रस्त होने पर आवश्यकतानुसार श्रमिकों के लिए प्रतिष्ठित निजी अस्पतालों में इलाज की व्यवस्था भी की जाएगी। जरूरी होने पर बड़े शहरों में भी उनके इलाज के इंतजाम किए जाएंगे। उन्होंने छोटे-छोटे काम-धंधों में लगे असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए लघु अवधि प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना की घोषणा करते हुए कहा कि इससे अकुशल श्रमिक कुशल श्रमिक बन सकेंगे।

श्री चौहान ने कहा कि हमारा सपना है कि प्रदेश के श्रमिक अपना खुद का रोजगार स्थापित करने में सक्षम बनें। इसके लिए श्रमिकों के लिए एक वर्ष के प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाएगी तथा उन्हें बैंक से ऋण भी दिलवाया जाएगा ताकि वे स्व-रोजगार की ओर कदम बढ़ा सकें। ऋण पर सब्सिडी भी मुहैया करवाई जाएगी और ऋण की गारंटी सरकार लेगी। उन्होंने कहा कि हर साल एक लाख श्रमिकों को स्व-रोजगार के लिए ऋण उपलब्ध कराया जाएगा।

गर्भवती श्रमिक महिलाओं को पोषण आहार हेतु मिलेंगे 4 हजार रूपये

मुख्यमंत्री ने कहा कि श्रमिकों के पाँच वर्ष से कम आयु के बच्चों का सम्पूर्ण स्वास्थ्य परीक्षण करवाया जाएगा तथा कुपोषित बच्चों के लिए विशेष पोषण आहार की व्यवस्था करने की पहल की जाएगी। श्री चौहान ने घोषणा की कि छः से नौ माह की गर्भवती श्रमिक महिला को पोषण आहार के लिए चार हजार रूपए की राशि प्रदान की जाएगी। प्रसव होने पर सरकार उस महिला के खाते में साढ़े बारह हजार रूपए जमा कराएगी ताकि वह इस अवस्था में मजदूरी करने को विवश न हो और घर पर विश्राम कर सके।

श्रमिकों की मृत्यु पर परिवार को मिलेंगे 4 लाख रूपये

श्री चौहान ने तेंदूपत्ता तोड़ने, महुआ के फूल एवं चिरौंजी बीनने वाली श्रमिक बहनों के लिए चरण पादुका योजना के तहत चप्पल-जूते तथा प्यास बुझाने के लिए ठण्डे पानी की कुप्पी प्रदान किए जाने की योजना की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि श्रमिक की मृत्यु होने पर पंचायत/नगरीय निकाय से पांच हजार रूपए नगद दिए जाने की व्यवस्था की जा रही है ताकि सम्मानपूर्वक अंतिम संस्कार सम्पन्न हो सके। मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि परिवार के मुखिया श्रमिक की सामान्य मृत्यु होने पर दो लाख रूपए तथा दुर्घटना में मृत्यु होने पर चार लाख रूपए परिवार को भरण-पोषण के लिए उपलब्ध कराए जाएंगे।

मध्यप्रदेश असंगठित शहरी एवं ग्रामीण कर्मकार कल्याण मण्डल के अध्यक्ष श्री सुल्तान सिंह शेखावत ने कहा कि असंगठित श्रमिक समाज का सर्वाधिक शोषित, पीड़ित और वंचित वर्ग है। उन्होंने कहा कि असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की बेहतरी के बारे में सोचने वाला मध्यप्रदेश पहला राज्य है। श्री शेखावत ने विश्वास व्यक्त किया कि मध्यप्रदेश सरकार असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के कल्याण के लिए ठोस कदम उठाकर पं. दीनदयाल उपाध्याय का सपना साकार करेगी।

ग्रामीण विकास में देश का अग्रणी राज्य बना मध्यप्रदेश : केंद्रीय मंत्री श्री तोमर

भोपाल। केंद्रीय पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि मध्यप्रदेश ग्रामीण विकास के क्षेत्र में देश का अग्रणी राज्य बन गया है। यहां ग्रामीण विकास की गतिविधियों में उल्लेखनीय प्रगति दर्ज हुई है। श्री तोमर सागर जिले के गढ़ाकोटा तहसील मुख्यालय पर आयोजित रहस लोकोत्सव समारोह में पंचायत राज प्रतिनिधियों को संबोधित कर रहे थे। सम्मेलन की अध्यक्षता पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री गोपाल भार्गव ने की । केंद्रीय मंत्री श्री तोमर ने कहा कि भारत सरकार द्वारा सन 2022 तक देश के प्रत्येक आवासहीन परिवार को आवास मुहैया कराने के लिए प्रारंभ की गई प्रधानमंत्री आवास योजना के क्रियान्वयन में मध्यप्रदेश अग्रणी है। उन्होंने राष्ट्रीय आजीविका मिशन के माध्यम से मध्यप्रदेश में ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के सार्थक प्रयासों की प्रशंसा की।

पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री श्री गोपाल भार्गव ने बताया कि रहस मेला सदियों से आयोजित किया जा रहा है। वर्तमान में इस मेले के माध्यम से शासन की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ स्थानीय लोगों को उपलब्ध करवाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि लगातार 5 दिन तक चलने वाले इस मेले में समाज के प्रत्येक वर्ग की भागीदारी सुनिश्चित की गई है। श्री गोपाल भार्गव ने 14 वर्षों में मध्यप्रदेश में ग्रामीण विकास के क्षेत्र में कराए गए कार्यों और उपलब्धियों की जानकारी दी।

पी.जी.डी.सी.ए. मात्र 9100/-
डी.सी.ए. मात्र 8100/-
न्यूनतम योग्यता पी.जी.डी.सी.ए.
स्नातक एवं डी.सी.ए.-बारहवीं (10+2)
मध्यप्रदेश राज्य सहकारी संघ द्वारा संचालित
सहकारी कम्प्यूटर एवं प्रबंध
प्रशिक्षण केन्द्र, भोपाल
(माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय भोपाल से सम्बद्ध)
ई-8/77 शाहपुरा, त्रिलंगा, भोपाल (म.प्र.) पिनकोड-462 039
फोन.-0755 2725518, 2726160 फेक्स-0755 2726160
Email: rajyasanghbpl@yahoo.co.in,ccmtcbpl@rediffmail.com

प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना : राज्य सहकारी संघ द्वारा प्रशिक्षण

सहकारिता में कौशल उन्नयन प्रशिक्षण

मध्यप्रदेश राज्य सहकारी संघ द्वारा प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना अंतर्गत प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्थाओं के विक्रेताओं हेतु तीन–तीन दिवसीय प्रशिक्षण 4 सितम्बर 2017 से प्रारंभ किये गये हैं। सहकारी क्षेत्र में देश में यह प्रथम प्रयास है। यह प्रशिक्षण सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र भोपाल, इंदौर, जबलुपर में संचालित हो रहे हैं। प्रशिक्षणों की चित्रमय झलकियाँ।

सत्र क्र. 22 भोपाल

सत्र क्र. 23 भोपाल

सत्र क्र. 22 इंदौर

सत्र क्र. 23 इंदौर

सत्र क्र. 24 इंदौर

सत्र क्र. 19 जबलपुर

सत्र क्र. 20 जबलपुर

सत्र क्र. 21 जबलपुर

कुशल सहकारिता : सफल सहकारिता

सागर जिले के ओला-वृष्टि प्रभावित खेतों में पहुंचे मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री ने किसानों को नुकसान की भरपाई का भरोसा दिलाया

भोपाल। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान सागर जिले की बीना तहसील के ओलावृष्टि प्रभावित जोद, गिरोल और लहरवास गाँवों में पहुँचे। श्री चौहान ने खेतों में जाकर क्षतिग्रस्त फसलों का मुआयना किया। मुख्यमंत्री ने कृषकों से बात कर उन्हें ढाँढस बँधाते हुए कहा कि संकट की इस घड़ी में राज्य सरकार आपके साथ है। श्री चौहान ने कहा कि इन परिस्थितियों का मुकाबला मिलकर करेंगे। सभी प्रभावित गांवों का सर्वे करवाया जा रहा है। सर्वे टीम में पटवारी, कृषि विभाग का अमला और गाँव के पंच शामिल होंगे। सर्वे की सूची पंचायत में चस्पा की जाएगी ताकि पूरी पारदर्शिता बनी रहे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि ओला-वृष्टि से प्रभावित कृषकों को फसल बीमा राशि सहित 30 हजार रूपये प्रति हेक्टेयर राहत राशि भी दी जाएगी। कर्ज वसूली स्थगित की जाएगी और ब्याज की शासन द्वारा प्रतिपूर्ति की जाएगी। उन्होंने कहा कि खाद-बीज के लिये किसानों को शून्य प्रतिशत पर ऋण मिलेगा। श्री चौहान ने किसानों को आश्वस्त किया कि ओला-वृष्टि से प्रभावित सभी कृषकों के नुकसान की भरपाई राज्य सरकार द्वारा की जाएगी। इस मौके पर सांसद श्री लक्ष्मीनारायण यादव, अन्य जन-प्रतिनिधि एवं वरिष्ठ अधिकारी तथा किसान मौजूद थे।

कुपोषण नियंत्रण में मध्यान्ह भोजन व्यवस्था वरदान सिद्ध हुई - मंत्री श्री भार्गव

भोपाल। पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री गोपाल भार्गव ने कहा है कि कुपोषण के विरुद्ध प्रदेश में चलाए जा रहे अभियान में **मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम** वरदान सिद्ध हो रहा है। प्रदेश के 85 विकासखण्डों की 25 हजार प्राथमिक शालाओं के 11.50 लाख विद्यार्थियों को अतिरिक्त पोषण-आहार के रूप में गुड़ और मूंगफली की चिक्की प्रदान की जाती हैं। इसी तरह मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम के अंतर्गत प्रदेश की एक लाख 14 हजार प्राथमिक और माध्यमिक शालाओं के 60 लाख से अधिक बच्चों को प्रति दिन स्वादिष्ट मध्यान्ह भोजन भी दिया जा रहा है।

मंत्री श्री भार्गव ने बताया कि प्रदेश में मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम के अंतर्गत वर्ष 2004 में विद्यालयों में बच्चों को पका हुआ भोजन देने की व्यवस्था लागू की गई है। इस व्यवस्था के प्रथम चरण में यह योजना केवल प्राथमिक विद्यालयों में लागू की गई थी। वर्ष 2008 से माध्यमिक विद्यालयों के बच्चों के लिये भी मध्यान्ह भोजन वितरण व्यवस्था प्रारंभ की गई है। उन्होंने बताया कि वर्तमान में प्रदेश के एक लाख 14 हजार प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों में दर्ज 64 लाख 11 हजार छात्र-छात्राओं में से 60 लाख 31 हजार बच्चे इस योजना से लाभान्वित हो रहे हैं। कार्यक्रम में पारदर्शिता, नियमितता और गुणवत्ता नियंत्रण के लिये स्व-सहायता समूहों के माध्यम से ही विद्यालयों में भोजन तैयार कर दिये जाने के निर्देश दिये गये हैं। समूहों को खाद्यान्न राज्य स्तर से सीधे प्रदाय किया जाता है।

श्री भार्गव ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा कुपोषण के विरुद्ध जंग से भी इस योजना को जोड़ा गया है। प्रदेश के 85 विकासखण्ड के 25 हजार विद्यालयों के 11.50 लाख विद्यार्थियों को योजना के माध्यम से अतिरिक्त पोषण-आहार सप्ताह में तीन दिन प्रदान किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार द्वारा 35 हजार 416 विद्यालयों को एलपीजी गैस कनेक्शन प्रदान किये जा चुके हैं, जिनसे मध्यान्ह भोजन तैयार किया जाता है। श्री भार्गव ने जानकारी दी कि विद्यालय में रसोई-घर की स्वच्छता और भोजन की पौष्टिकता को प्रोत्साहित करने के लिये प्रत्येक जिले में तीन स्वच्छ किचन को क्रमशः 50 हजार, 30 हजार और 20 हजार रुपये का पुरस्कार भी प्रदान किया जाता है।

भू-राजस्व न्यायालयों का नया स्वरूप हो रहा है तैयार

मुख्य सचिव श्री सिंह ने की जबलपुर संभाग में राजस्व मामलों की समीक्षा

भोपाल। मुख्य सचिव श्री बी.पी. सिंह ने कहा है कि राजस्व अधिकारियों द्वारा दिये गये सुझावों के आधार पर भू-राजस्व न्यायालयों का नया स्वरूप तैयार किया जा रहा है। इससे राजस्व न्यायालयों का काम-काज अधिक आसान हो जायेगा। श्री सिंह ने यह बात जबलपुर में संभाग-स्तरीय बैठक में राजस्व अधिकारियों के काम-काज की समीक्षा करते हुए कही। उन्होंने कहा कि जबलपुर संभाग प्रदेश के बेहतर राजस्व परफार्मेंस वाले संभागों में गिना जाता है। श्री सिंह ने कहा कि राजस्व न्यायालयों में प्रकरणों के निराकरण में असाधारण विलम्ब होने पर संबंधित अधिकारी के विरुद्ध कार्रवाई करें। लम्बित मामलों के लिये उन्होंने संबंधित जिलों के कलेक्टर और अनुविभागीय अधिकारियों से पूछताछ भी की। उन्होंने कहा कि लम्बे समय तक नामांतरण पंजी जमा न करने वाले पटवारियों के विरुद्ध कार्रवाई करें। उन्होंने पटवारी बस्तों के निरीक्षण, गिरदावरी, वसूली, ओला-वृष्टि एवं जन-सुनवाई से संबंधी जानकारी भी ली। मुख्य सचिव ने कहा कि कार्य में रुचि न लेने वाले अधिकारियों को 20 वर्ष की सेवा अथवा 50 वर्ष की आयु पूरी होने पर सेवानिवृत्ति की कार्यवाही करें। उन्होंने कहा कि राजस्व न्यायालयों में अदम पैरवी को केवल निराकरण दर्शाने के लिये खारिज नहीं किया जाना चाहिये।

प्रमुख सचिव राजस्व श्री अरुण पाण्डे ने प्राकृतिक आपदा में राहत के लम्बित प्रकरणों का शीघ्र निराकरण कर राहत राशि वितरित करने के निर्देश दिये। वरिष्ठ अधिकारी पात्र व्यक्ति को राहत राशि मिलना और अपात्र व्यक्ति को राशि न मिलना सुनिश्चित करें। उन्होंने मोबाइल गिरदावरी की भी जिलेवार समीक्षा की। प्रमुख सचिव राजस्व श्री हरिरंजन राव ने कहा कि आने वाले समय में मूल प्रकरण नस्ती के स्थान पर डिजिटली सिग्नेचर्ड रिकार्ड की अनुमति होगी। इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर मोहर लगाकर भेजी गई तामीली भी विधिमान्य होगी। राजस्व न्यायालयों में रिकार्ड-रूम और कॉपी-कक्ष का एकीकरण होगा। राजस्व अभिलेखों की प्रति की प्रिंटेड हार्ड-कॉपी और इलेक्ट्रॉनिक प्रति की निश्चित दर होगी और शुल्क का सरलीकरण किया जायेगा। उन्होंने पटवारी और राजस्व निरीक्षकों के प्रशिक्षण तैयारियों की भी जानकारी दी। श्री राव ने आवासीय पट्टा वितरण के संबंध में दिशा-निर्देश देते हुए पट्टों के रिकार्ड संधारण पर बल दिया। प्रमुख राजस्व आयुक्त श्री मनीष रस्तोगी ने राजस्व अधिकारियों से चर्चा की।

आयुक्त भू-अभिलेख श्री एम. सेलवेन्द्रम ने कहा कि आरसीएमएस को भू-अभिलेख एप्लीकेशन से जोड़ा गया है। इससे नामांतरण आसान होगा और खातों-खसरों की भी जानकारी मिलेगी। नई व्यवस्था से अविवादित नामांतरण और बँटवारे की बेहतर मॉनीटरिंग होगी। उन्होंने आधुनिक राजस्व रिकार्ड-रूम की भी जानकारी दी।

संभागायुक्त श्री गुलशन बामरा ने आरसीएमएस में दर्ज और निराकृत प्रकरणों की जानकारी देने के साथ त्वरित निराकरण के लिये किये गये प्रयासों का ब्यौरा दिया। बैठक में लोक सेवा गारंटी, सी.एम. हेल्पलाइन, सुप्रीम कोर्ट, हाईकोर्ट तथा अन्य न्यायालयों में अवमानना प्रकरणों की भी समीक्षा की। बैठक में सभी जिलों के कलेक्टर, अपर कलेक्टर, अनुविभागीय अधिकारी, तहसीलदार और नायब तहसीलदार उपस्थित थे।

प्रदेश सरकार जनभावनाओं का सम्मान करती है : मुख्यमंत्री श्री चौहान

मीना समाज के महासम्मेलन में शामिल हुये मुख्यमंत्री

भोपाल। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश की सरकार जनभावनाओं का आदर करती है। सरकार का प्रयास है कि सभी को उनका हक और न्याय मिले। उन्होंने कहा कि मीना, मांझी, कीर और पारदी को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने के लिये केन्द्र सरकार से आग्रह किया जायेगा। श्री चौहान भेल दशहरा मैदान में मीना समाज के महासम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर राज्यमंत्री उद्यानिकी विभाग, श्री सूर्यप्रकाश मीणा भी मौजूद थे।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश की तेजी से तरक्की के लिये निरंतर प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि मीना समाज परिश्रमी समाज है और अपना कार्य पूरी मेहनत और ईमानदारी से करता है। मुख्यमंत्री ने भावान्तर भुगतान योजना की जानकारी देते हुए बताया कि गेहूँ का समर्थन मूल्य 1735 रूपये घोषित हुआ है। राज्य सरकार ने निर्णय लिया है प्रदेश में किसानों को गेहूँ का भाव 2 हजार रूपये प्रति क्विंटल मिलेगा। उन्होंने कहा कि वे मीना समाज के प्रेम की कच्ची डोर से बंधकर कार्यक्रम में आये हैं।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कार्यक्रम में समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री करोड़ीलाल मीना को सम्मानित किया और समाज की स्मारिका का विमोचन किया। मुख्यमंत्री एवं अतिथियों को समाज की ओर से स्मृति चिन्ह भेंट किये गये।

महासम्मेलन को राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री करोड़ीलाल मीना, प्रांताध्यक्ष श्री लाला राम मीना, विधायक श्री मेहरबान सिंह रावत, विधायक श्रीमती ममता मीना, विधायक श्री राम निवास रावत, ने भी संबोधित किया।

ओला वृष्टि से फसल हानि का सर्वे सावधानीपूर्वक करें : श्री सिंह

मुख्य सचिव ने वीडियो कान्फ्रेन्स से की जिला कलेक्टरों से चर्चा

भोपाल। मुख्य सचिव श्री बसंत प्रताप सिंह ने परख वीडियो कांफ्रेंस में जिला कलेक्टरों को निर्देशित किया कि प्रदेश में ओला वृष्टि की स्थिति और फसलों को हुई हानि का सर्वे सावधानीपूर्वक करें। सर्वे के लिये राजस्व, कृषि और पंचायत विभाग की टीम बनाई जाये जिसमें जनप्रतिनिधियों की सहभागिता भी सुनिश्चित की जाये।

प्रमुख सचिव राजस्व श्री अरूण पाण्डे ने कहा कि फसलों के नुकसान के सर्वे में पारदर्शिता रखी जाये। सर्वे की सूची ग्राम पंचायतों में भी चस्पा की जाये। उन्होने बताया कि लघु और सीमांत किसानों को अब 50 प्रतिशत से अधिक फसल हानि होने पर सिंचित फसल के लिये 30 हजार रूपये और असिंचित फसल के लिये 16 हजार रूपये प्रति हेक्टेयर की दर से राहत दी जाएगी। अन्य कृषक (2 हेक्टेयर से अधिक भूमि धारित वाले) को सिंचित के लिये 27 हजार और असिंचित के लिये 13 हजार रूपये प्रति हेक्टेयर राहत राशि देने का प्रावधान किया गया है।

प्रमुख सचिव स्कूल शिक्षा श्रीमती दीप्ति गौड़ मुखर्जी ने परीक्षाओं के मद्देनजर परीक्षा केंद्र के आसपास धारा 144 लगाने , सेक्टर मजिस्ट्रेट की डयूटी लगाने एवं परीक्षा कंट्रोल रूम बनाने के लिए कलेक्टरों को निर्देश दिये।

प्रमुख सचिव उर्जा श्री आई.सी.पी. केशरी ने बताया कि पेयजल और परीक्षा को ध्यान में रखते हुये बकाया वाले ट्रांसफार्मर समय सीमा में कार्यशील कर दिये जायेंगे। प्रदेश मे अक्टूबर 2018 तक शत-प्रतिशत विद्युत कनेक्शन देने के निर्देश भी वीडियो काफ्रेंस में दिये गये। बंद नल-जल प्रदाय योजनाओं के संधारण की समीक्षा के दौरान सागर, टीकमगढ और विदिशा जिलों में कार्य को गति देने के निर्देश दिये गये।

भावांतर भुगतान योजना में रबी-2018 में पंजीयन के लिये की जा रही व्यवस्थाओं की समीक्षा के दौरान संचालक कृषि श्री मोहनलाल मीणा ने बताया कि पंजीयन 12 फरवरी से 12 मार्च तक होगा। मसूर, सरसों, प्याज और चना का पंजीयन किया जाना है । सॉइल हेल्थ कार्ड वितरण, मृदा परीक्षण तथा ई-नाम (नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट) की प्रगति की भी समीक्षा की गई।

प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के अंतर्गत गर्भवती और धात्री महिलाओं के पंजीयन के लिये जिला कलेक्टरों को विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिये गये। सिंगरौली, टीकमगढ, बड़वानी, छतरपुर और शिवपुरी जिलों में विशेष प्रयास की आवश्यकता बताई गई।

प्रमुख सचिव स्वास्थ्य श्रीमती गौरी सिंह ने भिण्ड जिला अस्पताल की तर्ज पर जिला अस्पतालों को अपग्रेड करने के निर्देश दिये। उन्होंने बताया कि जिला अस्पतालों के विकास कार्य के लिए विभाग द्वारा विशेषज्ञों की सेवायें ली जायेंगी। वीडियो काफ्रेंस में अपर मुख्य सचिव सामान्य प्रशासन श्री प्रभांशु कमल, प्रमुख सचिव महिला बाल विकास श्री जे.एन कन्सोटिया, प्रमुख सचिव लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी श्री प्रमोद अग्रवाल सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

एक वर्ष में प्रदेश की शत-प्रतिशत ग्राम पंचायतों के पास होंगे स्वयं के भवन

भोपाल। आगामी एक वर्ष में प्रदेश की शत-प्रतिशत ग्राम पंचायतों के पास स्वयं का भवन उपलब्ध हो जाएगा। इन भवनों का नाम **भारत निर्माण केन्द्र** होगा।

पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री गोपाल भार्गव द्वारा शेष एक हजार 46 ग्राम पंचायतों में भवन निर्माण के लिये एक करोड़ 51 लाख रुपये की राशि की स्वीकृति जारी कर दी गई है।

मंत्री श्री भार्गव ने बताया कि पंचायतराज संस्थाओं को सशक्त बनाने के लिए आवश्यक है कि सर्वप्रथम इन संस्थाओं के पास स्वयं का भवन होना चाहिए, जिससे पंचायत अपने कर्त्तव्यों का निर्वहन सुचारु ढंग से कर सकेंगी। श्री भार्गव ने बताया कि विभाग द्वारा गत वर्ष कराये सर्वे के अनुसार प्रदेश में कुल 5 हजार 166 भवनविहीन ग्राम पंचायतें थीं। इनमें से पूर्व में दी गई स्वीकृति के आधार पर 1189 पंचायत भवन पूर्ण किये जा चुके हैं। शेष 2 हजार 931 भवन वर्तमान में निर्माणाधीन हैं तथा बाकी 1046 पंचायत भवनों के लिये प्रत्येक को 14 लाख 48 हजार रुपये के मान से एक करोड़ 51 लाख 46 हजार रुपये की स्वीकृति प्रदान कर दी गई है।

भौंरासा बनेगा तहसील, टोंकखुर्द का एक करोड़ से करेंगे विकास : मुख्यमंत्री श्री चौहान

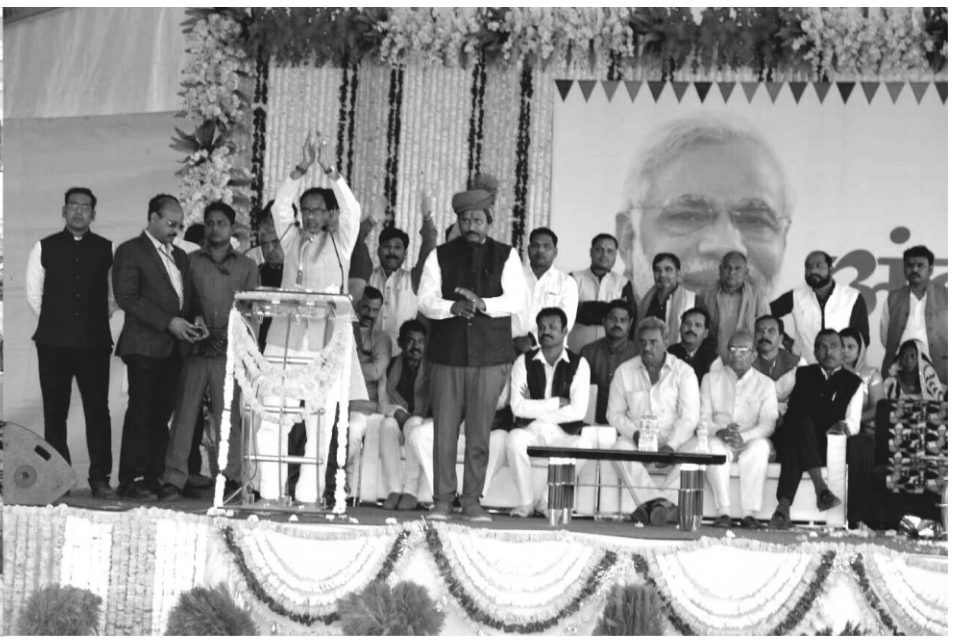

भोपाल। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने देवास जिले में भौंरासा को तहसील बनाने और टोंकखुर्द के विकास के लिये एक करोड़ रुपये देने की घोषणा की है। श्री चौहान टोंकखुर्द में आयोजित जिला-स्तरीय अन्त्योदय मेले में शामिल हुए।

वेयर-हाउस में उपज रखने का किराया शासन देगा

श्री चौहान ने अंत्योदय मेले में कहा कि किसानों को अपनी उपज तत्काल बेचने की आवश्यकता नहीं होगी। प्रदेश सरकार अब किसान को उसकी उपज वेयर-हाउस में रखने का किराया भी वहन करेगी। वेयर-हाउस में रखी गई उपज के मूल्य की 25 प्रतिशत राशि का भुगतान किसानों को पूर्व में ही कर दिया जायेगा।

खेती के साथ अन्य व्यवसाय भी करें किसान

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि किसान खेती के साथ अन्य व्यवसाय भी करें। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री युवा कृषक उद्यमी योजना के तहत खेती से जुड़ा व्यवसाय करने पर 25 लाख से 2 करोड़ रुपए तक का लोन दिया जायेगा। लोन की गारंटी सरकार देगी। इसमें 15 प्रतिशत सब्सिडी भी मिलेगी। श्री चौहान ने बताया कि प्रदेश में लगभग 30 हजार युवाओं को इस योजना से लाभान्वित करने का लक्ष्य निर्धारित किया जायेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों को क्रेडिट-कार्ड की जगह रुपे-कार्ड दिया जाएगा। चिन्हित सोसायटी में माइक्रो एटीएम भी खोले जाएंगे।

श्री चौहान ने इस अवसर पर पुस्तक **बानगी** का विमोचन किया और कन्या-पूजन किया गया। जिले के पंचायत सचिवों और रोजगार सहायकों ने उनकी मांगे पूरी होने पर मुख्यमंत्री श्री चौहान का पुष्प मालाओं से आभार व्यक्त किया।

30 हजार 581 हितग्राहियों को 1.73 करोड़ के हितलाभ

अंत्योदय मेले में मुख्यमंत्री श्री चौहान द्वारा जिले के 30 हजार 581 हितग्राहियों को लाभांवित किया गया। इसमें हितग्राहियों को लगभग एक अरब 73 करोड़ रुपये के हितलाभ वितरित किये गये। श्री चौहान ने लगभग 150 करोड़ रुपये लागत के निर्माण कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण किया।

इस मौके पर विधायक श्री राजेंद्र वर्मा, श्री चंपालाल देवड़ा, श्री आशीष शर्मा, जिला पंचायत अध्यक्ष श्री नरेंद्रसिंह राजपूत और महापौर श्री सुभाष शर्मा उपस्थित थे।

सौभाग्य योजना से आठ लाख से अधिक घरों को मिले बिजली कनेक्शन

भोपाल। मध्यप्रदेश में सहज बिजली हर घर योजना सौभाग्य में अब तक 8 लाख 5 हजार 329 घरों को बिजली कनेक्शन देकर रोशनी से जगमग किया जा चुका है। इस योजना में 43 लाख घरों को अक्टूबर माह तक बिजली कनेक्शन की सुविधा देने का लक्ष्य है।

सौभाग्य योजना के क्रियान्वयन में तीन विद्युत वितरण कम्पनी और उनकी टीम लगातार कार्य कर रही है। पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी को क्षेत्र के 20 जिलों के 15 लाख 7 हजार 20 कनेक्शनविहीन घरों को बिजली से जोड़ने का लक्ष्य दिया गया है। कम्पनी ने अब तक 2 लाख 41 हजार 68 घरों को बिजली कनेक्शन से जोड़ा है। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी ने क्षेत्र के 16 जिलों के 18 लाख 55 हजार 325 बिजली कनेक्शन विहीन घरों के विद्युतीकरण के लक्ष्य के विरुद्ध 3 लाख 43 हजार 924 घरों को रोशन किया है। इसी प्रकार पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी द्वारा क्षेत्र के 15 जिलों में 7 लाख 16 हजार 189 बिजली कनेक्शन विहीन घरों को बिजली सुविधा मुहैया करवाने के लक्ष्य के विरुद्ध 2 लाख 20 हजार 337 में बिजली कनेक्शन उपलब्ध करवा दिये गये हैं।

सौभाग्य योजना के क्रियान्वयन में इंदौर, नीमच, मंदसौर जिलों ने शत-प्रतिशत लक्ष्य पूर्ति कर ली है। इनके अलावा शाजापुर 73.68 प्रतिशत, देवास 63.58 प्रतिशत, बुरहानपुर 54.74 प्रतिशत, रतलाम 50.76 प्रतिशत, गुना 42.34 प्रतिशत, खण्डवा 39.27 प्रतिशत और धार 30.64 प्रतिशत उपलब्धि के साथ आगे है।

सौभाग्य योजना में 60 प्रतिशत राशि केन्द्र से अनुदान के रूप में उपलब्ध करवाई जा रही है। शेष 40 प्रतिशत राशि का प्रबंधन राज्य शासन एवं तीनों विद्युत वितरण कम्पनी द्वारा किया जा रहा है। योजना में आर्थिक, सामाजिक रूप से पिछड़े हितग्राहियों को निःशुल्क कनेक्शन दिये जा रहे हैं। अन्य हितग्राहियों से 500 रुपये की राशि 10 किश्तों में मासिक विद्युत बिल के साथ ली जायेगी।

पाँचवां राज्य वित्त आयोग गठित - पूर्व मंत्री श्री कोठारी अध्यक्ष मनोनीत

भोपाल। मध्यप्रदेश की नगर पालिकाओं एवं पंचायतों के बीच वर्ष 2020-2025 की पंचवर्षीय अवधि के लिये राज्य के करों, शुल्कों, फीस और पथकर आदि वितरण की नीति तैयार करने के लिये पाँचवें राज्य वित्त आयोग का गठन किया गया है। पूर्व मंत्री श्री हिम्मत कोठारी को आयोग का अध्यक्ष मनोनीत किया गया है।

आयोग में केन्द्र सरकार के पूर्व सचिव श्री के.एम. आचार्य एवं पूर्व अपर सचिव श्री मिलिन्द वाईकर को सदस्य बनाया गया है। वित्त विभाग के सचिव आयोग के सदस्य सचिव होंगे।

वित्त आयोग प्रदेश में पंचायत निकायों और नगरीय निकायों की वित्तीय स्थिति को सुधारने के लिये शासन के समक्ष अनुशंसाएँ प्रस्तुत करेगा। साथ ही, भूमि पर देय करों, स्टाम्प शुल्क के अलावा राजस्व के अन्य करों में स्थानीय नगरीय निकाय तथा ग्राम पंचायत के बीच बँटवारा तथा माल और सेवा कर के राजस्व बँटवारे के संबंध में भी शासन को सुझाव देगा।

आयोग ने नीति तैयार करने के लिये नागरिकों, विशेषज्ञों और अशासकीय संगठनों से 30 अप्रैल 2018 तक सुझाव आमंत्रित किये हैं।

रजिस्ट्रार ऑफ न्यूज पेपर (सेन्ट्रल रूल) 1956 के अंतर्गत मध्यप्रदेश सहकारी समाचार पाक्षिक के स्वामित्व तथा अन्य

विवरण संबंधित जानकारी

1.	प्रकाशन स्थल	: मध्यप्रदेश राज्य सहकारी संघ मर्यादित ई-8/77 शाहपुरा, भोपाल
2.	प्रकाशन अवधि	: पाक्षिक
3.	मुद्रक का नाम	: दिनेशचन्द्र शर्मा वास्ते- मध्यप्रदेश राज्य सहकारी संघ मर्यादित ई-8/77 शाहपुरा, भोपाल
4.	प्रकाशक का नाम	: दिनेशचन्द्र शर्मा वास्ते- मध्यप्रदेश राज्य सहकारी संघ मर्यादित ई-8/77 शाहपुरा, भोपाल
5.	सम्पादक का नाम	: दिनेशचन्द्र शर्मा वास्ते- मध्यप्रदेश राज्य सहकारी संघ मर्यादित ई-8/77 शाहपुरा, भोपाल
6.	क्या भारतीय नागरिक हैं	: हाँ
7.	उन व्यक्तियों के नाम व समाचार पत्र के स्वामी हो तथा जो समस्त पूंजी के एक प्रतिशत से अधिक के हिस्सेदार या साझेदार हो।	: यह समाचार पत्र मध्यप्रदेश राज्य सहकारी संघ मर्यादित, भोपाल का हैं।

मैं दिनेशचन्द्र शर्मा एतद् द्वारा घोषित करता हूँ कि मेरी अधिकतम जानकारी एवं विश्वास से ऊपर दिये गये विवरण सत्य हैं।

सही/-

दिनांक 1 मार्च 2018

(दिनेशचन्द्र शर्मा)
प्रकाशक

प्रदेश में बना स्वच्छता की स्वस्थ प्रतियोगिता का वातावरण
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने स्वच्छता अभियान में किया श्रमदान

भोपाल। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि जीवन वही है, जो दूसरों के लिये जिया जाये। ऐसे प्रामाणिक जीवन का सबसे अच्छा मापदण्ड स्वच्छता है। स्वच्छता में ईश्वर, स्वास्थ्य, सुंदरता, आनंद और प्रसन्नता है। उन्होंने आव्हान किया कि स्वच्छता सर्वेक्षण में नम्बर वन बनाने के लिये नागरिकों का योगदान भी नम्बर वन का होना चाहिये। मुख्यमंत्री श्री चौहान पॉलिटेक्निक चौराहा पर नगर निगम द्वारा आयोजित चाय पर चर्चा कार्यक्रम में नागरिकों से रू-ब-रू हुए। श्री चौहान ने पॉलिटेक्निक चौराहे पर झाड़ू लगाकर स्वच्छता अभियान में श्रमदान किया।

श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश में स्वच्छता की स्वस्थ प्रतियोगिता का वातावरण निर्मित हुआ है। प्रदेश के महानगरों और नगरों में कड़ी प्रतिस्पर्धा हो रही है। अच्छे कार्य के लिये प्रतियोगिता सार्थक और सुखद है। आस-पास का परिवेश, वातावरण, संस्थान स्वच्छ हो। यह अकेले नगर निगम, सरकार की जिम्मेदारी नहीं है। यह हम सबका परम कर्त्तव्य है। नागरिकों के सहकार से ही स्वच्छता सुनिश्चित होगी।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के स्वच्छता अभियान से स्वच्छता जागरूकता आई है। पिछले वर्ष स्वच्छता सर्वेक्षण में चयनित सौ शहरों में मध्यप्रदेश के 22 नगर थे। पहला स्थान इंदौर का और दूसरा भोपाल का था। स्वच्छता अभियान से नया वातावरण निर्मित हुआ है। लोग इधर-उधर कूड़ा फेंकने में संकोच करने लगे हैं। कहीं भी कूड़ा फेंकने के बजाय उसे रखकर बाद में सही स्थान पर फेंकते हैं। जिम्मेदारी का यह भाव अत्यंत सुखद है। उन्होंने स्वच्छता अभियान में भोपाल के नागरिकों का उत्साह और जुड़ाव की सराहना करते हुए महापौर श्री आलोक शर्मा को बधाई दी।

महापौर श्री आलोक शर्मा ने कहा कि नगर निगम स्वच्छ, सुंदर और विकसित भोपाल बनाने, संकल्पित है। स्वच्छता का अभियान तेजी से जन अभियान बन रहा है। नगर के सभी प्रमुख चौराहों पर विभिन्न वर्गों और व्यावसायिक लोग स्वच्छता संकल्प को प्रदर्शित करने के लिये श्रमदान कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि पॉलिटेक्निक चौराहा पर नर्सिंग होम एसोसियेशन के सदस्य चिकित्सकों द्वारा श्रमदान किया जा रहा है। इसी तरह एडव्होकेट आदि भी अन्य चौराहों पर श्रमदान कर रहे हैं।

कार्यक्रम के प्रारंभ में बालिकाओं ने स्वागत गीत की प्रस्तुति दी। फिल्म शोले के रूपांतरित प्रसंगों के द्वारा स्वच्छता संदेशों पर आधारित नाटिका का मंचन हुआ। नगर निगम आयुक्त श्रीमती प्रियंका दास, नर्सिंग होम एसोसियेशन के सदस्य, नागरिक और स्कूली बच्चों ने उपस्थित होकर श्रमदान किया।

लघु व्यवसाय एवं ग्रामीण उद्यमिता पर प्रमाणपत्रीय पाठ्यक्रम

भोपाल। सहकारी प्रबंध संस्थान, द्वारा डी.जी.आर.के सहयोग से लघु व्यवसाय एवं ग्रामीण उद्यमिता पर प्रमाणपत्रीय पाठ्यक्रम कोर्स नं. 224–10–17 दिनांक 23.10.2017 से प्रारम्भ हुआ था जिसका समापन 09.02.2018 को कर्नल मुकेश तिवारी द्वारा किया गया तथा कोर्स नं. 343–02–18 दिनांक 05.02.2018 से प्रारम्भ हुआ जिसका उद्घाटन 09.02.2018 को कर्नल मुकेश तिवारी द्वारा किया गया।

सर्वप्रथम संस्थान के निदेशक डॉ. ए.के .अस्थाना ने सुश्री शिखा, उप महाप्रबंधक, बर्ड लखनऊ एवं कर्नल मुकेश तिवारी का पुष्पगुच्छ से स्वागत किया और इसके पश्चात निदेशक महोदय द्वारा सेना के जवानों को संबोधित कर संस्थान एवं उक्त कार्यक्रम के बारे में संक्षिप्त जानकारी दी।

सुश्री शिखा, उप महाप्रबंधक, बर्ड लखनऊ ने कहा कि मेरे लिए गर्व की बात है कि मैं सेना के भाईयों से बात कर रही हूँ। आपने दुर्गम स्थानों पर रहकर देश की सेवा की है। फौजी भाईयों की मदद के लिए नाबार्ड भी बहुत सचेत है उपने उद्यम के लिए नाबार्ड बहुत स्कीम चलाती है। आज हमारे देश में जो कमी है वह एक अच्छे उद्यमी की है। आप लोग इस संस्थान में ट्रेनिंग के लिए आये है यह आपका सौभाग्य है आप लोग यहॉ से एक अच्छे उद्यमी बनकर जा रहे है। नाबार्ड में इस संस्थान को उच्च केटेगरी की श्रेणी में रखा गया है ।

कर्नल मुकेश तिवारी ने कहा कि जो ट्रेनिंग इस संस्थान ने आप लोगों को दी है इसको देखकर हमें बहुत खुशी है हमारा सीना गर्व से फूला नहीं समा रहा है। हमें खुशी है कि पूरा देश हमारे साथ है। उन्होंने कहा कि मेरा मानना है कि फौजी का कभी रिटारमेन्ट नहीं होता है। जो नालेज यहां दिया गया है उसको अपने जीवन में आत्मसात कर आगे बढिये। ज्ञान एक ऐसी चीज है जिसको कभी कोई चुरा नहीं सकता है। इस संस्थान के मार्गदर्शन से, प्रेरणा से रिटारमेन्ट के बाद अपना उद्यम चलाकर सम्मान से जीवन में आगे बढे। अपने खून पसीने की कमाई को ढंग से संभाल कर उपयोग कीजिये। अपने बच्चों का भविष्य बनाइये, अच्छी शिक्षा दीजिये तथा इस वर्दी पर कभी ऑच मत आने देना।

संस्थान के निदेशक डॉ. ए.के. अस्थाना ने कहा कि सेना के जवानों को प्रशिक्षण देने में एक ही भावना जुडी है कि हम भी देश की सेवा कर रहें है। अभी हमारे देश में ऐसा माहौल चल रहा है कि हम अपना उद्योग खोले। फौज के अंदर काम करते हुए आप लोगों में जो क्वालिटी आ गई है उसको और निखारना है। सेना में रहकर देश की सेवा की है अब सिविल सोसायटी में आकर समाज की सेवा करेंगे। चार महीने के दौरान आपको जो मार्गदर्शन दिया है उससे आप जीवन में अच्छे उद्यमी बनकर सम्मानपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करेंगे। कार्यक्रम की समाप्ति पर श्री अमित मुद्गल, संकाय सदस्य ने सभी अतिथियों का आभार व्यक्त किया।

म.प्र. राज्य सहकारी संघ मर्यादित भोपाल की ओर से प्रकाशक, मुद्रक दिनेशचंद्र शर्मा द्वारा सांध्य प्रकाश लि.'सांध्यप्रकाश भवन' मालवीय नगर, भोपाल से मुद्रित एवं ई-8/77, शाहपुरा भोपाल से प्रकाशित। प्रबंध सम्पादक : ऋतुराज रंजन, संपादक : दिनेशचंद्र शर्मा
डाक पंजीयन क्रमांक – म.प्र./भोपाल/357/2015-17 मुद्रित पत्र रजि. नं./आर.एन./13063/1967, फोन : 2725518, फैक्स : 0755-2726160 इस अंक में प्रकाशित रचनाओं में व्यक्त विचार लेखकों के अपने हैं जिनमें संपादकीय सहमति आवश्यक नहीं है।